न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

158

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 92/2022

मयूरेन्द्र प्रीतम विक्रम सिंह बनाम बलजीत कौर

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सी. पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रामप्रकाश गुप्ता अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12, 13, 14, 15
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — अप्रार्थी/वादी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 16.07.2025

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसमे अंकित तथ्यानुसार नत्था सिंह वल्द सरदार बहादर कप्तान शेर सिंह निवासी चक 5 ए छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के पास करीब 988 बीघा खुद पैदाकर्ता आराजी कागजात अराज थी, उसके चार पुत्र क्रमशः सतजीत सिंह, हरजीत सिंह, मनजीत सिंह व प्रभजीत सिंह थे, जिनमें से प्रभजीत सिंह का अरसा दराज पहले करीब वर्ष 1944 में निधन होने के बाद उसकी विधवा गुरवंत कौर थी और नत्था सिंह अपनी विधवा पुत्रवधु गुरवंत कौर के हक में जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 09–06–1952 को 174.16 बीघा जमीन प्रतिबंधित शर्त से गुजारे के लिए दी थी और कब्जा भी उसी रोज दे दिया था, जो उसकी पुत्रवधु होने के नाते **Pre-existing right** भी था और नत्था सिंह ने दिनांक 11–01–1960 को मुरब्बा नम्बर 19/18 के 25 बीघा जमीन पुत्रवधु गुरवंत कौर के पिता सरदार बलवंत सिंह पुत्र बहादुर सिंह को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान अपने जीवनकाल में ही कर दिया था। इस प्रकार विधवा गुरवंत कौर के पास 149.07 बीघा जमीन कब्जा काश्त में रही और कालांतर में अरसा दराज पहले पुत्रवधु विधवा गुरवंत कौर द्वारा एक खोला पुत्र एवं पुत्री क्रमशः सरबजीत सिंह एवं राणा गुरबरिन्द्र कौर को खोला ले लिया और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के बाद अन्तर्गत धारा 14(1) की वह इसकी कामिक मालिक बन गई और ससुर नत्था सिंह की मृत्यु के पश्चात् पुत्रवधु विधवा गुरवंत कौर के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 29–09–1966 के अनुसार 51 बीघा जमीन स्वयं गुरवंत कौर, 49.03 बीघा खोला पुत्री राणा गुरबरिन्द्र कौर, 49.03 बीघा जमीन खोला पुत्र सरबजीत सिंह कर उसका इंतकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया और 24.12.1994 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत सरबजीत सिंह द्वारा अपनी उक्त 49.03 बीघा जमीन अपने भांजे अभय बचन सिंह, विजय बचन सिंह पिसरान रूपेन्द्रबचन सिंह को कर दी और सरबजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात् वह [illegible] ज हो गए और इंतकाल कागजात राज में दर्ज हो गया [illegible] हिस्सा की जमीन 51 बीघा जरिये बंद व[illegible] सिंह, विजय बचन सिंह पिसरान रूपेन्द्र बचन सिंह को दे दी और [illegible] कौर की मृत्यु के उपरांत बंद वसीयत वर्ष 2011 में रजिस्टर्ड हुई और उक्त ज[illegible] पर वे काबिज हो गए और कागजात राज में दर्ज हो गई। तदोपरांत नत्था सिंह के बाकी वारिसान सतजीत सिंह, हरजीत सिंह एवं मनजीत सिंह व उनकी मृत्योपरांत उनकी वारिसान ने विधवा गुरवंत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कौर व राणा गुरबरिन्द्र कौर के खिलाफ अदालत हाजा में भिन्न–भिन्न दावाजात दायिर कर रखे थे कि नत्था सिंह द्वारा स्वयं पैदाकर्ता भूमि अपनी पुत्रवधु विधवा गुरवंत कौर को गुजारे के लिए, कंडीशनल दी गई थी। हालांकि पुत्रवधु विधवा गुरवंत कौर का इस भूमि पर **Pre-existing right** भी था, फिर भी उक्त भूमि लेने के लिए दावा जात कर रखे थे। यहां यह भी लिखना उचित होगा कि इस सम्बंध में एक दावा अनवानी गुरजीत सिंह बनाम राणा गुरबिन्द्र कौर आदि दावा संख्या 01/2013 में नत्था सिंह के वारिसान में से हरजीत सिंह के तमाम वारिसान से राजीनामा दिनांक 16.12.2015 को 15 बीघा भूमि प्राप्त कर हकरसी होने पर अदालत हाजा द्वारा राजीनामा तस्दीक कर दिनांक 25–04–2017 को **Partly Decree** किया गया और बाद में नत्था सिंह के एक अन्य वारिस मनजीत सिंह के तमाम वारिसान द्वारा इसी दावा में हकरसी होने पर 15 बीघा जमीन प्राप्त कर राजीनामा दिनांक 21.03.2024 को पेश करने पर राजीनामा तस्दीक किया गया और अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04–07–2024 को **Partly Decree** किया गया और बाद में नत्था सिंह के एक अन्य वारिसान सतजीत सिंह के वारिसान वादीया की माता बलजीत कौर (प्रतिवादी संख्या 1) एवं रणजीत सिंह पिसरान सतजीत सिंह द्वारा हकरसी होने पर राजीनामा पेश करने पर राजीनामा दिनांक 16.10.2024 तस्दीक कर जिसमें यह भी लिखा गया कि "उक्त राजीनामा की रूह से डिक्री होने पर वादग्रस्त तमाम भूमि पर क्लैम समाप्त हो जायेगा और फरीकन राजस्थान, पंजाब एवं पूरे भारतवर्ष में समस्त राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालयो एंव ज्यूडिशियल न्यायालयों में हम फरीकेन एवं हमारे वारिसान किसी भी न्यायालय में एक–दूसरे के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे" एवं बाद में सतजीत सिंह के एक अन्य वारिसान हरमीत सिंह के तमाम वारिसान अदालत हाजा में उपस्थित होकर हकरसी होने पर एक राजीनामा दिनांक 11–12–2024 को पेश किया गया और बाद अदालत हाजा द्वारा राजीनामा तस्दीक कर वाद अनवानी गुरजीत सिंह बनाम राणा गुरबरिन्द्र कौर आदि पूर्ण रूप से राजीनामा की रूह से डिक्री फरमाया गया। वादीया मयूरेन्द्र प्रीतम विक्रम सिंह ने उक्त वाद घोषित किए जाने अपने परनाना की सम्पत्ति में हिस्सा, कब्जा, प्राप्ति एवं प्रतिवादी संख्या 12 की माता गुरवंत कौर द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांकित 29–09–1966 एवं प्रतिवादी संख्या 12 के भाई सर्वजीत सिंह द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24–12–1994 एवं इंतकाल संख्या 07–06–1996 एवं बैयनामा दिनांक 16–09–2010 उक्त तमाम को अप्रभावी घोषित कर पुनः वादीया के परनाना नत्था सिंह के नाम दर्ज की जावे आदि–आदि, यह भी अनुतोष चाहा है कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि रहन, बैय एवं मुंतकिल करने से बाज व ममनू रहे। उक्त दावा व अनुतोष बिना किसी आधार के अदालत हाजा में पेश किया गया है, जो हर प्रकार से **Vexaous, Malafide** एवं **Frivolous** है और प्रतिवादीगण बलजीत कौर, गुरजीत सिंह, दलजीत एवं अन्य से दुर्भि–संधि कर तमाम तथ्यों को छिपाकर अदालत हाजा को गुमराह करते हुए न्यायिक प्रक्रिया का अनावश्यक दुरूपयोग कर, दुर्भावनापूर्वक बाकी तमाम पक्षकारान के साथ राजीनामा के आधार पर डिक्री हुए अंतिम फैसलो को विफल करने के लिए एवं प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए पेश किया गया है, जो निम्न आधारों पर इसी स्तर ना काबिल चलने योग्य है और खारिज किए जाने योग्य है :–

(a) यह कि दावे के पैरा संख्या ... नत्था सिंह पुत्र सरदार बहादुर कप्तान शेर सिंह है और पैरा संख्या 7 ... वादीया अपने परनाना की भूमि में हकदार के आधार पर ... किया गया है। हालांकि वह किसी भी प्रकार से अपनी माता बलजीत ... प्रतिवादीया संख्या 1) के जीवनकाल में व उसके बाद भी यह हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और ना ही उसे कोई वाद–हेतुक प्राप्त है और ना ही यह दावा **Maintainable** है क्योंकि वादीया की माता बलजीत कौर (प्रतिवादीया संख्या 1) उक्त जमीन में राजीनामा की रूह से हकरसी होने के कारण अपना हक व हिस्सा ले चुकी है। प्रार्थीयान से कुछ भी प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner

करने के अधिकारी नहीं है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय अनवानी भंवर लाल बनाम श्रीमती फुला एवं अन्य में यह निर्धारित किया है कि **Grandson cannot claim any right in the property of his maternal grandfather, if his mother is alive** इसी आधार पर एवं **Cause of Action** ना होने के कारण उपर के पैरों में वर्णित नत्था सिंह के तमाम वारिसान से हकरसी होने पर राजीनामा होने के कारण इसी आधार पर जैरदफा आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० यह दावा खारिज किये जाने के योग्य है।

(b) नत्था सिंह पुत्र सरदार बहादुर कप्तान शेर सिंह के तमाम वारिसान के मध्य हकरसी होने पर राजीनामा होने के कारण एवं अदालत हाजा द्वारा तस्दीक कर डिक्री किए जाने के कारण निर्णय अंतिम हो जाने के कारण उक्त दावा **Maintainable** ही नहीं है और ना ही वादीया को कोई वाद–हेतुक ही प्राप्त है और इसी आधार पर उक्त दावा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० से यह दावा काबिले खारिज योग्य है।

(c) वादीया ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 8 में पंजीकृत बंटवारा दिनांक 29–09–1966 को चुनौती दी है और चरण संख्या 9 में सर्वजीत सिंह द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत को फर्जी बताकर माननीय न्यायालय से शून्य घोषित करवाने का अनुतोष मांगा है एवं इंतकाल संख्या 63 दिनांक 07–03–1996 को विधि–विरूद्ध एवं शून्य दस्तावेज को कहकर चुनौती दी गई है तथा वाद के मद संख्या 10 में विक्रय–पत्र दिनांक 16–04–2010 जो प्रतिवादीया संख्या 12 द्वारा बेचान जरिये रजिस्टर किया गया था, उसको चुनौती देकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है, हालांकि उपरोक्त दस्तावेजों को सिविल न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है इसलिए इसी कानूनी बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11, सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता काबिले योग्य है।

यह कि उक्त वाद बिना वजह ही मिन प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के लिए दायर किया गया है। वादीगण ने यह स्वीकार किया है कि स्व. श्रीनत्था सिंह ने मिन प्रतिवादीगण के पक्ष में वसीयत 1952 में की थी और उक्त भूमि 149 बीघा 6 बिस्वा इस वसीयत के जरिये गुरूवन्त कौर दी गयी थी और तब से लेकर आज तक बिना किसी अडचन के मन प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। श्रीमती गुरवंत कौर अपने ससुर से उक्त समस्त भूमि प्राप्त हुई थी और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(2) के प्रावधानों के अनुसार व एकल स्वामी बन गयी थी। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है और कोई भी वाद हेतुक वादीगण को प्राप्त नहीं है। बिना अधिकार के ही दावा हैरान व परेशान करने के लिए किया गया है और कोई Right of Sue नहीं है। यह न्यायिक दृष्टांत डी०एन०जे० 2017 (1) राजस्थान में भी निर्धारित किया गया है कि "**Civil Procedure Code, 1908-O7, R11; Sec. 151 - Rejection of Plaint - Even if the plaint is not strictly covered u/o- 7 R. 11, the same can be rejected u/s. 151 C-P-C.-Frivolous and vexatious suit ought to be nipped in the bud at the earliest.**"

नत्था सिंह पुत्र श्री बहादुर शेर सिंह के समस्त वारिसान और उनके पुत्र–पुत्रियां अपना–अपना हिस्सा जरिये राजीनामा के आधार पर करवा चुकी है जिसकी राजीनामा की प्रतियां दौराने बहस पेश कर दिया जायेगा। मयूरे[illegible]क्रम सिंह अपने परनाना की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकारी [illegible] विक्रम सिंह की माता जीवनकाल में अपना 1/4 हिस्सा [illegible] चुकी है इसलिए मयूरेन्द्र प्रीतम विक्रम सिंह का कोई हिस्सा [illegible] दरखास्त पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद जैर आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी सपठित धारा [illegible] सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(6)

अप्रार्थी / वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार नत्था सिंह वल्द सरदार बहादर पिसरान शेर सिंह निवासी–चक 5 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के पास 198 बीघा भूमि कागजात में दर्ज थी, यह सही है कि चार लड़के थे सरजीत, हरजीत, मनजीत प्रभजीत थे, यह भी सही है कि प्रभजीत का स्वर्गवास हो गया था तथा उनकी पत्नी गुरवंत कौर थी नत्था सिंह द्वारा अपने जीवन काल में अपने लड़कों के नाम वसीयत की थी दिनांक 09.06.1952 को जो वसीयत गुरविन्द्र कौर के लड़के ने की थी उसमें यह शर्त थी कि अगर गुरविन्द्र कौर मेरे लड़के से किसी के साथ क्लेवा कर लेवे तो आधी जमीन की हकदार होगी यदि वह कलेवा नहीं करती तो अपना इस जमीन पर कोई अधिकार नही होगा केवल गुजारा ही कर सकती है व किसी को जमीन का बेचान नहीं कर सकती तथा नत्था सिंह द्वारा आने जीवनकाल में ही जो गुजारे के लिये वसीयत गुरविन्द्र को थी उसमें से मुरब्बा नम्बर 19/18 के 25 बीघा रकबा उसने बलवन्त सिंह पुत्र बहादुर सिंह को बेचान कर दिया जिसका इन्तकाल बलवन्त सिंह पुत्र बहादुर सिंह के नाम दर्ज किया गया शेष भूमि गुरवंत कौर 149 बीघा 7 बिस्वा भूमि को ही रही इसे गुरवंत कौर के नाम इंतकाल किया गया उसमें भी यही शर्त थी कि गुरवंत कौर को केवल गुजारे के लिये रकबा दिया गया है वह इस जमीन की मालिक हो। यह कहना गलत है कि गुरवंत कौर ने अपने जीवनकाल में किसी सर्वजीत सिंह व राणा गुरविन्द्र को गोद लिया हो। यह कहना सरासर गलत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की 14 (1) के तहत वह इस जीमन की मालिक बन गई हो। जमाबन्दी में कभी मालिक के नाम से इंतकाल नही किया गया है। ये कहना सरासर गलत है कि गुरवंत कौर द्वारा दिनांक 29.09.1966 के अनुसार 51 बीघा जमीन स्वयं गुरवंत कौर 49.03 बीघा अपने औलाद पुत्री राणा गुरविन्द्र कौर को बांट कर दी हो जबकि गुरवंत कौर इस जमीन की मालिक नहीं थी न ही मालिक के आधार पर उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ था ना ही उसके द्वारा कोई बंटवारा किया गया है तो वादी के अधिकार पर बेअसर है। यह कहना भी सरासर गलत है कि तथाकथित उसके खोलायत पुत्र सरबजीत सिंह द्वारा दिनांक 24.12.94 को वसीयत अपने भांजे अभयवचन सिंह के नाम की हो क्योंकि सरबजीत सिंह के पास कोई रकबा नही है ना ही कोई गुरविन्द्र को के नाम रकबा है इसलिये उसे कोई अधिकार हासिल नही है यह कहना भी सरासर गलत है कि गुरवंत कौर द्वारा अपने हिस्से की जमीन 51 बीघा की बंद वसीयत 2006 को अपने दोहिते अभयबचन व विजयबचन के हक में नहीं हो जबकि गुरवंत कौर जमीन की मालिक ही नहीं थी केवल नत्था सिंह द्वारा गुजारे के लिये दी थी तो से वसीयत करने का अधिकार हासिल नहीं था ये सही है कि गुरवंत कौर की मृत्यु हो चुकी है यह कहना भी गलत है कि वसीयत के आधार पर अभयबचन व विजयबचन का इस भूमि पर कब्जा हो। दरख्वास्त की मद संख्या 2 जिस तरह से दर्ज है, स्वीकार नही है क्योंकि वादिया द्वारा अब अपने हिस्सा प्राप्त करने का दावा पेश किया है क्योंकि वादिया का इस भूमि में हक व हिस्सा है क्योंकि नत्था सिंह के सभी वारिसान का हक व हिस्सा बनता है प्रत्येक वारिसान भूमि का केस करने के लिये स्वतंत्र है [illegible] जानकारी नहीं कि गुरजीत सिंह द्वारा राणा गुरविन्द्र कौर हुआ है कि [illegible] हुआ या नहीं वादी को इस बात की कोई जानकारी नहीं [illegible] कि नहीं इसकी भी जानकारी नही है। जहां तक [illegible] करना बताया है उसकी जानकारी वादिया को नही है ना ही उसे राजीनामा करने का अधिकार था। यह कहना सरासर गलत है कि वादिया का क्लेम समाप्त हो चुका है बाकी जो मद में दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है। मद संख्या 3 जिस तरह से दर्ज है इस हद तक स्वीकार है कि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

162

वादिया ने वाद प्रस्तुत किया है क्योंकि वादिया को यह अधिकार प्राप्त है वादी अपने अधिकारों के तहत कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा बिना अधिकार के जो तथ्य दर्ज किये गये हैं तथा जो दस्तावेज बनाये गये हैं वह गलत है तथा वादी के अधिकारों पर भी बेअसर है। प्रतिवादी द्वारा यह कहना कि सरासर गलत है कि दावे में तथ्य छुपाकर दावा पेश किया गया है जबकि वादी द्वारा कोई तथ्य छुपाकर दावा पेश नही किया गया है प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत दर्ज किये गये हैं। वादी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी के पास वाद का कारण है वादी द्वारा कोई राजीनामा नही किया गया ऐसा राजीनामा वादी के अधिकारों पर बेअसर है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भंवरलाल बनाम फुला आदि का जो हवाला दिया गया है वह इस पर लागू नही होता। वादी का वाद लाने को वाद हेतुक है प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में कवर नही होता है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 (बी) स्वीकार नही है क्योंकि वादी द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया, वादी द्वारा अपने अधिकारों के लिये वाद पेश करने का अधिकारी है। वादी का वाद मेनटेलबल है। वाद का कॉज ऑफ एक्शन वाद में दर्ज है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। मद संख्या 4 (सी) स्वीकार नही है क्योंकि वसीयत करने वाले को वसीयत करने का अधिकार नही है, यदि वसीयत की गई है तो वह वादी के अधिकारों पर बेअसर है। यह कहना गलत है कि मामला सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सिविल वाद सुनने का अधिकार श्रीमान जी को ही है। दरख्वास्त मद संख्या 4 जिस तरह से दर्ज हे स्वीकार नहीं है क्योंकि नत्था सिंह द्वारा जो वसीयत की गई थी वह शर्तों के अनुसार की गई थी गुरवंत कौर ने उस वसीयत की शर्त पूरी नहीं की थी तथा केवल वसीयत की जमीन अपने गुजारे के लिये थी न कि उसे जमीन का मालिक बनाया गया था तथा जो इन्तकाल गुरवन्त कौर के नाम किया गया था उसमें वसीयत का उल्लेख किया गया है इसलिये उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है तथा ना ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4(2) का उसे लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि उपरोक्त जमीन पर उसका अभी भी कब्जा नहीं रहा तथा कभी भी उसके नाम से खातेदारी इन्तकाल दर्ज नहीं किया गया इसलिये भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा जो डीनेजी 2017 का हवाला दिया है वह इस पर लागू नही होता इसलिये प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। दरख्वास्त की मद संख्या 5 जिस तरह से दर्ज है स्वीकार नही है बल्कि गलत तथ्यों पर पेश की गई है इसलिये भी प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। उजरात–प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में कवर नहीं होता इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य हैं। प्रतिवादी द्वारा जो भी आपत्ति है वह जवाब दावा उठा सकता था परन्तु प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र मय ऐतराज करने, तनकीयात साक्ष्य आने के बाद तय किये जा सकते हैं। यह प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर चलने योग्य नही है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रतिवादी द्वारा जान बुझकर गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश करके स्थगन आदेश में रूकावट पैदा करने व मामले को लम्बा करने के लिये किया गया है जो कि खारिज करने योग्य है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी के तहत पेश कर अर्ज है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा सव्यय खारिज किया जाए।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.(प्रतिवादी संख्या 12 ता 15) की मुख्य बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि दावा अनवानी गुरजीत सिंह बनाम राणा गुरबिन्द्र कौर आ[illegible] संख्या 01/2013 में नत्था सिंह के वारिसान में से हरजीत सिंह के तमाम [illegible] राजीनामा दिनांक 16.12.2015 को 15 बीघा भूमि प्राप्त [illegible] द्वारा राजीनामा तस्दीक कर दिनांक 25–04–2017 को Partly Decree [illegible] गया और बाद में नत्था सिंह के एक अन्य वारिस मनजीत सिंह के तमाम वारि[illegible] द्वारा इसी दावा में हकरसी होने पर 15 बीघा जमीन प्राप्त कर राजीनामा दिनांक 21.03.2024 को पेश करने पर राजीनामा तस्दीक किया गया और अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 04-07-2024 को **Partly Decree** किया गया और बाद में नत्था सिंह के एक अन्य वारिसान सतजीत सिंह के वारिसान वादीया की माता बलजीत कौर (प्रतिवादी संख्या 1) एवं रणजीत सिंह पिसरान सतजीत सिंह द्वारा हकरसी होने पर राजीनामा पेश करने पर राजीनामा दिनांक 16.10.2024 तस्दीक कर जिसमें यह भी लिखा गया कि "उक्त राजीनामा की रूह से डिक्री होने पर वादग्रस्त तमाम भूमि पर क्लैम समाप्त हो जायेगा और फरीकन राजस्थान, पंजाब एवं पूरे भारतवर्ष में समस्त राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालयो एंव ज्यूडिशियल न्यायालयों में हम फरीकेन एवं हमारे वारिसान किसी भी न्यायालय में एक-दूसरे के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे" एवं बाद में सतजीत सिंह के एक अन्य वारिसान हरमीत सिंह के तमाम वारिसान अदालत हाजा में उपस्थित होकर हकरसी होने पर एक राजीनामा दिनांक 11-12-2024 को पेश किया गया और बाद अदालत हाजा द्वारा राजीनामा तस्दीक कर वाद अनवानी गुरजीत सिंह बनाम राणा गुरबरिन्द्र कौर आदि पूर्ण रूप से राजीनामा की रूह से डिक्री फरमाया गया। अब वादीया मयूरेन्द्र प्रीतम विक्रम सिंह ने उक्त वाद घोषित किए जाने अपने परनाना की सम्पत्ति में हिस्सा, कब्जा, प्राप्ति एवं प्रतिवादी संख्या 12 की माता गुरवंत कौर द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांकित 29-09-1966 एवं प्रतिवादी संख्या 12 के भाई सर्वजीत सिंह द्वारा की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 24-12-1994 एवं इंतकाल संख्या 07-06-1996 एवं बैयनामा दिनांक 16-09-2010 उक्त तमाम को अप्रभावी घोषित कर पुनः वादीया के परनाना नत्था सिंह के नाम दर्ज की जावे आदि-आदि, यह भी अनुतोष चाहा है कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि रहन, बैय एवं मुंतकिल करने से बाज व ममनू रहे। उक्त दावा व अनुतोष बिना किसी आधार के अदालत हाजा में पेश किया गया है, जो हर प्रकार से **Vexaous, Malafide** एवं **Frivolous** है और प्रतिवादीगण बलजीत कौर, गुरजीत सिंह, दलजीत एवं अन्य से दुर्भि-संधि कर तमाम तथ्यों को छिपाकर अदालत हाजा को गुमराह करते हुए न्यायिक प्रक्रिया का अनावश्यक दुरूपयोग कर, दुर्भावनापूर्वक बाकी तमाम पक्षकारान के साथ राजीनामा के आधार पर डिक्री हुए अंतिम फैसलो को विफल करने के लिए एवं प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए पेश किया गया है, जो निम्न आधारों पर इसी स्तर ना काबिल चलने योग्य है और खिराजी किए जाने योग्य है। दावे के पैरा संख्या 3 के अनुसार वादीया के परनाना नत्था सिंह पुत्र सरदार बहादुर कप्तान शेर सिंह है और पैरा संख्या 7 के अनुसार वादीया अपने परनाना की भूमि में हकदार के आधार पर खातेदारी की घोषणा का कहकर दायर किया गया है। हालांकि वह किसी भी प्रकार से अपनी माता बलजीत कौर (प्रतिवादीया संख्या 1) के जीवनकाल में व उसके बाद भी यह हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और ना ही उसे कोई वाद-हेतुक प्राप्त है और ना ही यह दावा Maintainable है क्योंकि वादीया की माता बलजीत कौर (प्रतिवादीया संख्या 1) उक्त जमीन में राजीनामा की रूह से हकरसी होने के कारण अपना हक व हिस्सा ले चुकी है। प्रार्थीयान से कुछ भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय अनवानी भंवर लाल बनाम श्रीमती फुला एवं अन्य में यह निर्धारित किया है कि Grandson(दोहिता) cannot claim any right in the property of his maternal grandfather, if his mother is alive इसी आधार पर एवं Cause of Action ना होने के कारण दावा खारिज किया जावे। वादीया ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 8 में पंजीकृत बंटवारा दिनांक 29-09-1966 को चुनौती दी है और चरण संख्या 9 में सर्वजीत सिंह द्वारा की गई [illegible] को फर्जी बताकर माननीय न्यायालय से शून्य घोषित करवाने का अनु[illegible] एवं इंतकाल संख्या 63 दिनांक 07-03-1996 को विधि-विरूद्ध एवं शून्य दस्तावेज [illegible] चुनौती दी गई है तथा वाद के मद संख्या 10 में विक्रय-पत्र दिनांक 16-0[illegible]10 जो प्रतिवादीया संख्या 12 द्वारा बेचान जरिये रजिस्टर किया गया था, उसको चुनौती देकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए है, हालांकि उपरोक्त दस्तावेजों को सिविल न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है इसलिए वाद खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार उपरोक्त अनवानी वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान के अर्न्तगत विधि से वर्जित होने के कारण आयन्दा बिना विचारण किये निरस्त किये जाने योग्य है। वादीया द्वारा बिना अधिकार के ही दावा हैरान व परेशान करने के लिए किया गया है और कोई Right of Sue नहीं है। यह न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2017 (1) राजस्थान में भी निर्धारित किया गया है कि "Civil Procedure Code, 1908-O7, R11; Sec. 151 - Rejection of Plaint - Even if the plaint is not strictly covered u/o- 7 R. 11, the same can be rejected u/s. 151 C-P-C.-Frivolous and vexatious suit ought to be nipped in the bud at the earliest." अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त –2017(1) DNJ[Raj]-2 Annat pal singh rajput Vs. Sumer singh Rajput & Anr., RRT 2023 pag. 926 Bhanwar lal vs Smt. Phoola पेश किये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस के समर्थन में– प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि में हरजीत सिंह के वारिसान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 16.12.2015 की प्रमाणित प्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2017 प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि की प्रमाणित प्रति, मंजीत सिंह के वारिसान के द्वारा किये गये राजीनामा दिनांक 21.03.2024 प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि की प्रमाणित प्रति, राजीनामा दिनांक 14.10.2024 मय आदेश दिनांक 16.10.2024 बलजीत कौर, रणजीत सिंह प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि की प्रमाणित प्रति, राजीनामा दिनांक 11.12.2024 एवम् आदेश 19.12.2024 जसवीर कौर उर्फ जसवीर ढिल्लो, रणदीप सिंह पुत्र स्व. हरमीत सिंह प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

वकील प्रतिवादी संख्या 2 की मुख्य बहस यह रही कि नत्था सिंह द्वारा आने जीवनकाल में ही जो गुजारे के लिये वसीयत गुरविन्द्र को थी उसमें से मुरब्बा नम्बर 19/18 के 25 बीघा रकबा उसने बलवन्त सिंह पुत्र बहादुर सिंह को बेचान कर दिया जिसका इन्तकाल बलवन्त सिंह पुत्र बहादुर सिंह के नाम दर्ज किया गया शेष भूमि गुरवंत कौर 149 बीघा 7 बिस्वा भूमि को ही रही इसे गुरवंत कौर के नाम इंतकाल किया गया उसमें भी यही शर्त थी कि गुरवंत कौर को केवल गुजारे के लिये रकबा दिया गया है वह इस जमीन की मालिक हो। यह कहना गलत है कि गुरवंत कौर ने अपने जीवनकाल में किसी सर्वजीत सिंह व राणा गुरविन्द्र को गोद लिया हो। यह कहना सरासर गलत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की 14 (1) के तहत वह इस जीमन की मालिक बन गई हो। जमाबन्दी में कभी मालिक के नाम से इंतकाल नही किया गया है। ये कहना सरासर गलत है कि गुरवंत कौर द्वारा दिनांक 29.09.1966 के अनुसार 51 बीघा जमीन स्वयं गुरवंत कौर 49.03 बीघा अपने औलाद पुत्री राणा गुरविन्द्र कौर को बांट कर दी हो जबकि गुरवंत कौर इस जमीन की मालिक नहीं थी न ही मालिक के आधार पर उसका नाम राजस्व रिका[illegible] दरामद हुआ था ना ही उसके द्वारा कोई बंटवारा किया गया है तो वादी [illegible] अधिका[illegible] बेअसर है। नत्था सिंह द्वारा जो वसीयत की गई थी [illegible] गुरवंत कौर ने उस वसीयत की शर्त पूरी नहीं की [illegible] जमीन अपने गुजारे के लिये थी न कि उसे जमीन का मालिक बनाया गया था त[illegible] जो इन्तकाल गुरवन्त कौर के नाम किया गया था उसमें वसीयत का उल्लेख किया गया है इसलिये उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं है तथा ना ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 (2)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

165

का उसे लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि उपरोक्त जमीन पर उसका अभी भी कब्जा नहीं रहा तथा कभी भी उसके नाम से खातेदारी इन्तकाल दर्ज नहीं किया गया इसलिये भी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में कवर नहीं होता इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य हैं। प्रतिवादी द्वारा जो भी आपत्ति है वह जवाब दावा उठा सकता था परन्तु प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र मय ऐतराज करने, तनकीयात साक्ष्य आने के बाद तय किये जा सकते हैं। यह प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर चलने योग्य नही है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रतिवादी द्वारा जान बुझकर गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश करके स्थगन आदेश में रूकावट पैदा करने व मामले को लम्बा करने के लिये किया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. मय खर्चा सव्यय खारिज किया जाए। वकील वादी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त – 2013(1) RRT 356 RAJASTHAN HIGH COURT (JAIPUR BENCH) Nathu ram seth vs Smt poonam seth & Ors, RRD 14.03.2014 pg 162, [Citation : 2023(2) DNJ (Raj.) 498] RRT 2011-12 (Supp.) pg 74 प्रस्तुत किये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. में वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है :–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अभिलिखित अभिवचनो, प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि में हरजीत सिंह के वारिसान द्वारा किये गये राजीनामा दिनांक 16.12.2015, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.04.2017 प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि, मंजीत सिंह के वारिसान के द्वारा प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि में किये गये राजीनामा दिनांक 21.03.2024, राजीनामा दिनांक [illegible]24 मय आदेश दिनांक 16.10.2024 बलजीत कौर, रणजीत सिंह प्रकरण संख्या 01/2[illegible] अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि, राजीनामा दिनांक 11.12.20[illegible] [illegible] 19.12.2024 जसवीर कौर उर्फ जसवीर [illegible] रणजीत सिंह [illegible] गुरजीत सिंह प्रकरण संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि में किये गये राजीनामा व न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत वाद में वादी द्वारा अपने माता के जीवनकाल में माता के पैतृक पक्ष की (वादी के ननिहाल पक्ष की) भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया है। हिन्दू विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि हिन्दू महिला अपनी सम्पत्ति की एकल स्वामीनी होती है। हिन्दू महिला के जीवनकाल में उसकी भूमि के सम्बन्ध में उसकी संतानो द्वारा दावा/क्लेम नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त – RRT 2023 pag. 926 Bhanwar lal vs Smt. Phoola. "Grandson (Dohita) has no right in property of the maternal grandfather in the lifetime of the mother" इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है।

यहां यह भी स्पष्ट साबित है कि वादग्रस्त भूमि जो वादी की माता के पीहर पक्ष की पैतृक भूमि है के सम्बन्ध में वादी की माता द्वारा वाद संख्या 01/2013 अनवान गुरजीत सिंह बनाम गुरविन्द्र कौर आदि में राजीनामा दिनांक 14.10.2024 के द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के पक्ष में भूमि का परित्याग किया जा चुका है। इस अनुसार इस न्यायालय द्वारा वाद संख्या 01/2013 में दिनांक 16.10.2024 में राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जा चुका है। अतः वादी रेस ज्यूडिकेटा से भी प्रभावित है। इस प्रकार प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.(प्रतिवादी संख्या 12 ता 15)द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– Frivolous and vexatious suits and litigation ought to be nipped in the bud at the earliest and even if not striclty covered under the provisions of order 7 rule 11, the same ought to be rejected under section 151 C.P.C. इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 16.07.2025 को उभयपक्ष को सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

167

(प्रकरण संख्या 28/2025
अनवान मयूरेन्द्र प्रीतम विक्रम सिंह बनाम बलजीत कौर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अन्र्त0 धारा 88 188 92–ए आर.टी.ए.

मयूरेन्द्र प्रीतम विक्रम सिंह बनाम बलजीत कौर

!! संशोधित आदेश !!

दिनांक :–18.07.2025

प्रार्थी/प्रतिवादी राणा गुरविन्द्र कौर आदि की ओर से वकील श्री मनीष कुमार गर्ग द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया गया कि वाद प्रकरण संख्या 28/25 अनवान मयूरेन्द्र प्रीतम विक्रम सिंह बनाम बलजीत कौर में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का आदेश दिनांक 16.07.2025 को किया गया है। उक्त अनवानी मुकदमा में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के आदेश दिनांक 16.07.2025 में सहवन से प्रकरण संख्या 28/2025 के स्थान पर 92/2025 अंकित हो गया है एवं प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 15 के अधिवक्ता का नाम सहवन से श्री रामप्रकाश गुप्ता अंकिन हो गया है। जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रकरण संख्या 92/2025 को दुरूस्त कर प्रकरण संख्या 28/2025 एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रामप्रकाश गुप्ता को दुरूस्त कर मनीष कुमार गर्ग का संशोधित आदेश जारी किया जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी को दी गई। वकील वादी श्री ओमप्रकाश बतरा द्वारा संशोधन किये जाने पर सहमति जाहिर की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत अधिवक्ता उभयपक्ष को ऐतराज नहीं है। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि हैं, जिसे न्याहित में संशोधित किया जा सकता है।

अतः वाद संख्या 28/2025 शीर्षक मयूरेन्द्र प्रीतम विक्रम सिंह बनाम बलजीत कौर में पारित आदेश (आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.) दिनांक 16.07.2025 में संशोधन करते हुए आदेश दिनांक 16.07.2025 में दर्ज प्रकरण संख्या 92/2022 के स्थान पर प्रकरण संख्या 28/2025 किया जाता है एवं अधिवक्ता श्री रामप्रकाश गुप्ता के स्थान पर अधिवक्ता श्री मनीष कुमार गर्ग किया जाता है। उक्त संशोधन को आदेश दिनांक 16.07.2025 का भाग पढ़ा जावे।

संशोधित आदेश आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner